सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 04, शुक्रवार, *शाके* 1947- सितम्बर 26, 2025 Asvina 04, Friday, Saka 1947- September 26, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 26, 2025

जी.एस.आर.43 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025 दिनांक 25.07.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,
मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 25, 2025

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिश: बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 66 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,अर्थात्:-

“

66.	ई-नीलाम प्लेटफार्म की सेवाएं	एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड (एनईएमएल)/ एमएसटीसी लिमिटेड	अभिकरणों द्वारा प्रभारित की जाने वाली प्रक्रिया फीस निम्नानुसार होगी:-		
			उपापन की विषय वस्तु का नीलाम मूल्य		प्रक्रिया फीस
			(i)	एक करोड़ रुपये तक	नीलाम मूल्य का एक प्रतिशत
			(ii)	एक करोड़ रुपये से अधिक और पांच करोड़ रुपये तक	एक लाख रुपये और एक करोड़ से अधिक नीलाम मूल्य का 0.25 प्रतिशत
			(iii)	पांच करोड़ से अधिक	2 लाख रुपये और पांच करोड़ से अधिक नीलाम मूल्य का 0.10 प्रतिशत। तथापि कुल प्रक्रिया फीस 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी

”

[एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2025]
राज्यपाल के आदेश से,
मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.